

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 186/2022 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. भैरू लाल पुत्र श्री मोड़ा, जाति-ढोली, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

01. चतरू पुत्र श्री भागा रेगर, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

02. दिनेश पुत्र श्री पन्ना, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

03. प्रकाश पुत्र श्री पन्ना, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

04. सवाईराम पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

05. खेमा पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

06. तुलसा पुत्र श्री भागा रेगर, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

07. सुखा पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

08. तहसीलदार करेड़ा जरिये पेशकार सरकार तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा - 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

01 श्री मुकेश सिंह तंवर

अधिवक्ता वादी

02 एक तरफा कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08

:: निर्णय ::

दिनांक 09.12.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183- राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, भूअभिलेख निरीक्षक-ज्ञानगढ़, में अंकित आराजी नंबर-2399/205 कुल किता-01 रकबा-0.5059 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 30/2021 पर दर्ज होकर दिनांक 14.12.2021 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 03.03.2022 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर-23999/205 रकबा-35 बीस्वा हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को पत्थरगढ़ी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सुपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू-अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु

Vogey
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम-चौहानों की कमेरी पटवार हल्का-उमरी, आराजी नंबर-2399/205 रकबा-35 बीस्वा पर अवैध कब्जा है। उसे हटाकर वादी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।


वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन गर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाईं किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 08 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएव:

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, भू-अभिलेख निरीक्षक-ज्ञानगढ़ में अंकित आराजी नंबर-2399/205 किता-01 रकबा-0.5059 हैक्टर भूमि मे से रकबा-35 बीस्वा पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सुपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(ज्योतेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 186/2022 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

03. भैरू लाल पुत्र श्री मोड़ा, जाति-ढोली, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा। —वादी

बनाम

17. चतरू पुत्र श्री भागा रेगर, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

18. दिनेश पुत्र श्री पन्ना, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

19. प्रकाश पुत्र श्री पन्ना, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

20. सवाईशाम पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

21. खेमा पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

22. तुलसा पुत्र श्री भागा रेगर, जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

23. सुखा पुत्र श्री चुन्ना जाति-रेगर, उम्र वयस्क, निवासी-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

24. तहसीलदार करेड़ा जरिये पेरोकार सरकार तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 09.12.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वार राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम-चौहानों की कमेरी, पटवार हल्का-उमरी, भूअभिलेख निरीक्षक-ज्ञानगढ़ में अंकित आराजी नंबर-2399/205 किता-01 रकबा-0.5059 हैक्टर भूमि मे से रकबा-35 बीस्वा पर किये गये अवैध कब्जे का हटया जाकर वादी को सिुपर्द कराया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदभ सहायक
आर.ए.एस.
उपखण्ड करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदभ सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदभ सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा